

**राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प. 4(3)नविवि/2021पार्ट


जयपुर दिनांक 13 AUG 2021

**आदेश**

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.07.2021 द्वारा श्री करण राज जीनगर, अधीक्षण अभियंता को श्री संजय माथुर, अधीक्षण अभियंता के स्थान पर नगर विकास न्यास, भीलवाडा में स्थानान्तरित करते हुए श्री माथुर को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर में किया गया था।

श्री संजय माथुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 8788/2021 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 13.07.2021 की पालना में श्री संजय माथुर को अधीक्षण अभियंता, नगर विकास न्यास, भीलवाडा के पद पर कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान करते हुए श्री करण राज जीनगर, अधीक्षण अभियंता को तुरंत प्रभाव से पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(अक्षय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग।
4. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाडा।
6. सम्बन्धित अभियंतागण द्वारा- सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाडा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय